[ 2019 ] 7 एस. सी. आर 701

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

वी.

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

( 2019 की सिविल अपील संख्या 4776)

08 मई, 2019

[ आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 - 30-मास्टर सर्कुलर डी. टी. डी. 01.07.13

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए जारी किया गया, उच्च अधिकारियों की एक समिति को जानबूझकर चूक के मामले सौंपे गए, जो तब प्रारंभिक निर्णय लेगी इसके बाद, उधारकर्ता को 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का समय-ऐसी समिति को उधारकर्ता को सुनना चाहिए यदि वह यह प्रतिनिधित्व करता है कि उसे गलत तरीके से एक जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसी सुनवाई के बाद ही जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में अंतिम घोषणा की जानी चाहिए-संशोधित परिपत्र। 01.07.15 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी, एक कार्यकारी निदेशक और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करवाकर उपरोक्त योजना को प्रतिस्थापित किया गया

उधारकर्ता की ओर से जानबूझकर चूक का प्रमाण-यदि इस प्रथम समिति को पता चलता है कि जानबूझकर चूक की कोई घटना हुई है, तो उसे पहले उधारकर्ता को कारण दिखाएँ नोटिस जारी करना चाहिए और उसके लिए कॉल करना चाहिए।

प्रस्तुतियाँ, और उनकी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, जानबूझकर चूक के तथ्य और उसके कारणों को दर्ज करते हुए एक आदेश जारी करें-व्यक्तिगत सुनवाई केवल तभी की जा सकती है जब समिति को लगता है कि ऐसी सुनवाई आवश्यक है-समिति के आदेश की किसी अन्य समिति (समीक्षा समिति) द्वारा समीक्षा की जाएगी-यह मुद्दा कि क्या एक वकील को संशोधित परिपत्र के तहत पहली समिति और/या समीक्षा समिति के समक्ष उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो सदन समितियाँ हो सकती हैं

न्यायाधिकरण माना जाता है, और इसलिए, एक वकील को ऐसी सदन समितियों के समक्ष अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है

अपील पर,

आयोजितः संशोधित परिपत्र के तहत नियुक्त सदन समितियों के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, उनकी शक्तियां हैं -

प्रशासनिक शक्तियाँ, तथ्यों को इकट्ठा करने और फिर परिणाम पर पहुंचने के लिए-किसी भी वकील को कोई अधिकार नहीं है घर के अंदर उपस्थित होने के लिए 30 बजे

समितियाँ-उक्त समितियाँ भी कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं।

कानून/अधीनस्थ विधान द्वारा साक्ष्य लेना-इस आधार पर इसके अलावा, किसी भी वकील को कोई अधिकार नहीं होगा 30 बजे से पहले उपस्थित होना है

हालाँकि, Art.19 (1) (g) वर्तमान के तथ्यों में आकर्षित है।

एक ही

जिस क्षण किसी व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, उसका प्रभाव व्यवसाय करने के अपने मौलिक अधिकार पर प्रत्यक्ष और तत्काल है

कठोर परिणामों को देखते हुए, संशोधित परिपत्र में

लोक हित, जिसे उचित रूप से समझा जाता है-कार्यकारी निदेशक और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति, जो पहली होती है

समिति को अपना आदेश बनाते ही उधारकर्ता को देना चाहिए।

- उधारकर्ता 15 दिनों के भीतर इस तरह के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सकता है

समीक्षा समिति-समीक्षा समिति को तब एक तर्क पारित करना चाहिए

आदेश जो तब उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए-ये सभी कदम

संशोधित परिपत्र-विवादित निर्णय सेट में शामिल किया गया

एक तरफ-भारत का संविधान-Art.19 (1) (g)-प्राकृतिक शिक्षा के सिद्धांत

न्याय-समितियाँ-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 29 ए.

समितियाँ-जब न्यायाधिकरण नहीं होतीं-आयोजित की जाती हैंः इससे पहले कि किसी निकाय को "न्यायाधिकरण" कहा जा सके, उसे न्यायिक निकाय में निवेश किया जाना चाहिए।

राज्य की उसके समक्ष उत्पन्न होने वाली विधि पर निर्णय लेने की शक्ति कानूनी रूप से होनी चाहिए

कानून/अधीनस्थ विधान द्वारा साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत या अन्यथा।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित परिपत्र

जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान के लिए तंत्र को प्रतिस्थापित करना

ऐसी समितियों के समक्ष मौखिक सुनवाई के अधिकार के परिपत्र में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती परिपत्र-सदन समितियों में उपबंध किया गया है, यदि -

कोई भी-आयोजितः संशोधित परिपत्र की योजना को देखते हुए, यह मुश्किल है

यह कहना कि मौखिक सुनवाई अनिवार्य है-प्राकृतिक न्याय एक लचीला है उपकरण का उपयोग इस क्रम में किया जाता है कि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी उचित परिणाम पर पहुंचे

- इस तरह के परिणाम कई मामलों में मौखिक सुनवाई के बिना प्राप्त किए जा सकते हैं।

लेकिन पक्षों द्वारा दिए गए लिखित अभ्यावेदन पर, विचार करने के बाद

जिसके बाद निर्णय लिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पूर्ववर्ती मुख्य परिपत्र दिनांकित 01.07.2013

शिकायत निवारण समिति के समक्ष सुनवाई की अनुमति अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में, और यह भी प्रदान किया गया

कि उधारकर्ता को भुगतान करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए

फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रारंभिक निर्णय के खिलाफ प्रतिनिधित्व v.

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

समिति, यह स्थिति अब प्राप्त नहीं होती है। दिनांक 01.07.2015 के संशोधित परिपत्र के पैराग्राफ 3 के तहत, यह केवल पहले चरण में है कि पहली समिति को कारण बताएँ नोटिस जारी करना है और उधारकर्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करना है, एक विवेकाधिकार उपरोक्त समिति के पास व्यक्तिगत सुनवाई करने या न करने के लिए छोड़ दिया गया है। समीक्षा समिति जिसमें उच्च अधिकारी और स्वतंत्र निदेशक होते हैं, पूरी तरह से सदन में होती है। न तो पहली समिति का आदेश उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए, न ही उपरोक्त आदेश के खिलाफ किसी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, न ही समीक्षा समिति के समक्ष कोई व्यक्तिगत सुनवाई है, जो स्वयं पहली समिति के आदेश को पढ़ती है और फिर उधारकर्ता को शामिल किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। किसी व्यक्ति को जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद गंभीर परिणाम सामने आते हैं। ये परिणाम इस प्रकार हैं -

प्रवर्तकों को 5 साल की अवधि के लिए संस्थागत वित्त से प्रतिबंधित किया जाएगा [पैराग्राफ 2.5 (ए)]; (सी) आपराधिक शिकायतों सहित कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है [पैराग्राफ 2.5 (बी)]; (डी) बैंक और वित्तीय संस्थान सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएंगे। विलफुल डिफॉल्टर के प्रबंधन में बदलाव [पैराग्राफ 2.5 (सी)]; (ई) विलफुल डिफॉल्टर के प्रमोटर/निदेशक को किसी अन्य उधार लेने वाली कंपनी द्वारा शामिल नहीं किया जाएगा [पैराग्राफ 2.5 (डी)]; (एफ)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 ए के अनुसार, एक विलफुल डिफॉल्टर समाधान आवेदक नहीं हो सकता है। [ पारस 7,8] [712-बी-एच; 713-ए]

1.2 विवादित फैसले में कहा गया है कि "सबूत लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत" अभिव्यक्ति शब्द के साथ जाती है।

“ व्यक्ति "और" न्यायाधिकरण "शब्द के साथ नहीं। हालांकि यह सही हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि किसी निकाय को "न्यायाधिकरण" कहा जा सके, उसे निर्णय लेने के लिए राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ निवेश किया जाना चाहिए।

एक लिस जो उसके सामने उठती है। इसका मतलब यह होगा कि सभी

“ न्यायाधिकरणों को कानून या अधीनस्थ कानून या अन्यथा, न्यायपालिका की न्यायिक शक्ति द्वारा साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होना चाहिए। ऐसे न्यायाधिकरण में निहित राज्य। जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम में परीक्षणों को लागू करना। लक्ष्मी चंद और ओआरएस। और इंजीनियरिंग मजदूर सभा और अन्र। वी. वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए, यह संभवतः नहीं कहा जा सकता है कि संशोधित परिपत्र दिनांक [2019] 7 एस. सी. आर. के तहत नियुक्त आंतरिक समिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01.07.2015 राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ निहित है। विवादित निर्णय का निष्कर्ष है कि ऐसे परिपत्रों में वैधानिक बल, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की न्यायिक शक्ति दो समितियों में निहित की गई है, पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य की न्यायिक शक्ति, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा समझा जाता है, साक्ष्य एकत्र करने और कानून को लागू करने के बाद पक्षों के बीच निर्णय लेने की शक्ति है, जिसके परिणामस्वरूप, एक बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। यह वर्तमान मामले से बहुत दूर है क्योंकि सदन की समितियों के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, उनकी शक्तियां सदन की समितियों को तथ्यों को इकट्ठा करने और फिर परिणाम पर पहुंचने के लिए दी गई प्रशासनिक शक्तियां हैं। दूसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिपत्र किसी भी तरह से राज्य की न्यायिक शक्ति को ऐसी आंतरिक समितियों में निहित करते हैं।

इसलिए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं है, और किसी भी वकील को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के तहत सदन की समितियों के समक्ष उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा,

उक्त समितियाँ कानून या अधीनस्थ विधान द्वारा साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति भी नहीं हैं, और इस आधार पर भी, किसी भी वकील को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के तहत उसके समक्ष उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं होगा। [ पारस 11,12] [713-एफ-एच; 715-ए; डी-जी]

1.3 संशोधित परिपत्र की योजना को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि मौखिक सुनवाई अनिवार्य है। यह कहना और भी कठिन है कि सभी मामलों में मौखिक सुनवाई की जानी चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है। कई निर्णयों में कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय एक लचीला उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के उचित परिणाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ऐसा परिणाम कई मामलों में मौखिक सुनवाई के बिना लेकिन पक्षों द्वारा दिए गए लिखित अभ्यावेदन पर प्राप्त किया जा सकता है, जिस पर विचार करने के बाद,

इसके बाद निर्णय लिया जाता है। [ पैरा 13] [716-ए-सी]

1.4 संशोधित के पैराग्राफ 3 में निहित सदन की कार्यवाही में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।

सर्कुलर दिनांक 01.07.2015, जैसा कि यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित जानबूझकर चूक की घटनाएं। 3 यह केवल प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों से संबंधित होगा। क्या चूक जानबूझकर, जानबूझकर और गणना की गई है, यह फिर से एक तथ्य का सवाल है जिसे ऋणदाता उधारकर्ता के प्रस्तुतिकरणों को प्राप्त करने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस में उधारकर्ता को दे सकता है।

हालांकि, अनुच्छेद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम। एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

19 ( 1 ) ( छ) वर्तमान मामले के तथ्यों में आकर्षित होता है क्योंकि जिस क्षण किसी व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया जाता है, उस पर प्रभाव

व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष और तत्काल है। यही कारण है कि किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है और उद्यमियों/प्रवर्तकों को पांच साल के लिए संस्थागत वित्त से रोक दिया जाएगा। बैंक/वित्तीय संस्थान जानबूझकर प्रबंधन को भी बदल सकते हैं। व्यतिक्रमी और विलफुल डिफॉल्टर के प्रवर्तक/निदेशक को किसी अन्य उधारकर्ता कंपनी का प्रवर्तक या निदेशक नहीं बनाया जा सकता है।

समान रूप से, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत, एक विलफुल डिफॉल्टर समाधान आवेदक होने के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है। इन कठोर परिणामों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि संशोधित परिपत्र, जनहित में होने के कारण, उचित रूप से समझा जाना चाहिए। ऐसा होने के कारण, और इस तथ्य को देखते हुए कि दिनांक 1 के मुख्य परिपत्र के अनुच्छेद 3 ने उधारकर्ता को पहली समिति के प्रारंभिक निर्णय के 15 दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यकारी निदेशक और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति, जो पहली समिति है, को दिनांक 2 के संशोधित परिपत्र के अनुच्छेद 3 (बी) का पालन करने के बाद, अपना आदेश देते ही उधारकर्ता को देना चाहिए। तब कर्जदार कर सकता है

फिर ऐसे अभ्यावेदन पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए जो तब उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि पहले के मास्टर सर्कुलर दिनांक 01.07.2013 ने स्वयं इस तरह के कदमों को उचित माना था, इन सभी चरणों को संशोधित सर्कुलर दिनांक 01.07.2015 में शामिल किया गया है। विवादित निर्णय है, इसलिए, अलग रखें। [ पैरा 21] [722-डी-एच; 723-ए-डी]

जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम. लक्ष्मी चंद और ओआरएस। , [ 1963 ] सप. 1 एस. सी. आर. 242; इंजीनियरिंग मजदूर सभा और अन्र। वी. हिंद साइकिल लिमिटेड, [1963] सप. 1 एससीआर 625; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम। पी. एन. शर्मा और अन्र. , [ 1965 ] 2 एससीआर 366; गोरखा सुरक्षा सेवा बनाम। सरकार. ( दिल्ली का एन. सी. टी.) और अन्य। ( 2014 ) 9 एस. सी. सी. 105; मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी.

मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( 1978 ) 1 एससीसी 405: [ 1978 ] 2 एस. सी. आर. 272; कविता बनाम. राज्य महाराष्ट्र और अन्य। ( I), (1981) 3 SCC 558: [ 1982 ] 1 एससीआर 138; जे. के. अग्रवाल बनाम। हरियाणा के बीज विकास निगम लिमिटेड और अन्य। ( 1991 ) 2 एससीसी 283 : [ 1990 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 13; अर्धचंद्र रंग और केमिकल्स लिमिटेड बनाम। राम नरेश त्रिपाठी (1993) 2 एससीसी 115 : [ 1992 ] 3 सप. एससीआर 559; डी. जी., रेलवे सुरक्षा बल और ओआरएस। वी. के. रघूराम बाबू (2008) 4 एससीसी 406 [ 2008 ] 3 एस. सी. आर. 752; कृष्ण चंद्र टंडन बनाम। भारत संघ, (1974) 4 एस. सी. सी. 374; राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम। के. वी. रामा रेड्डी, (2006) 11 एससीसी भारतीय स्टेट बैंक बनाम एम/एस। जाह डेवलपर्स प्रा. लि. और ओआरएस। एल. पी. ए. सं. में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय 113 2015 का; किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड बनाम। भारत संघ और ओआरएस। डब्ल्यू. पी. (एल) में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय 2015 का सं. 1684; किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड बनाम संघ का भारत और ओआरएस। ए. एस. टी. में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय पंजाब और अन्र। ( 1981 ) 4 एससीसी 327: [ 1982 ] 1 एससीआर 718 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[ 1963 ] सप. 1 एससीआर 242

उस पर भरोसा करें

[ 1963 ] सप. 1 एससीआर 625

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[ 1965 ] 2 एससीआर 366

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

( 2014 ) 9 एससीसी 105

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[ 1978 ] 2 एससीआर 272

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[ 1982 ] 1 एससीआर 138

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[ 1982 ] 1 एससीआर 718

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

उस पर भरोसा करें

[ 1990 ] 3 सप. एससीआर 13

पै

रा 16

[ 1992 ] 3 सप. एससीआर 559

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[ 2008 ] 3 एससीआर 752

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

( 1974 ) 4 एस. सी. सी. 374

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[ 2006 ] 6 सप. एससीआर 725

उस पर भरोसा करें

पैरा 20 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4776

2019 से।

2015 के एल. पी. ए. सं. 113 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.12.2015 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील सं। 4777 , 4778 2019 से।

पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ललतक्ष दोशी, अधिवक्ता। ( ए. सी.)

एन. के. कौल, बी. बी. साहनी, प्रीतेश कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय कपूर, भरत गंगाधरन, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री शुभ्रा कपूर, विपिन कुमार जय, राकेश कुमार, सुश्री प्रीति कश्यप, सौरभ मिश्रा, शिबाशीष मिश्रा, श्रीमती कंचन कौर ढोडी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपीलों में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या, जब किसी व्यक्ति को परिपत्रों के तहत जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ("आर. बी. आई".), ऐसा व्यक्ति ऐसी घोषणा करने से पहले अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार है।

3. आर. बी. आई. के दिनांकित 01.07.2013 परिपत्र को "विलफुल डिफाल्टर्स पर मास्टर सर्कुलर" ["मास्टर सर्कुलर"] के रूप में वर्णित किया गया है और इसे संबोधित किया गया है।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एल. ए. बी.) को छोड़कर) और अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थानों को। उक्त मास्टर सर्कुलर का उद्देश्य इस प्रकार बताया गया हैः

" उद्देश्यः

ऋण सूचना के प्रसार के लिए एक प्रणाली स्थापित करना

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सावधान करने के लिए जानबूझकर चूक करने वालों से संबंधित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे बैंक वित्त नहीं किया गया है

उनके लिए उपलब्ध है।
इस मास्टर सर्कुलर के तहत, "विलफुल डिफॉल्ट" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है

निम्नलिखित हैः

" 2.1 . विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा

"विलफुल डिफॉल्ट" शब्द को पिछली परिभाषा के स्थान पर निम्नानुसार पुनर्परिभाषित किया गया हैः

" विलफुल डिफॉल्ट "को हुआ माना जाएगा यदि इनमें से कोई भी

निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख किया गया हैः

( क) इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, भले ही उसके पास करने की क्षमता हो।

उक्त दायित्वों का सम्मान करें।

( ख) इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और ऋणदाता से वित्त का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया है जिनके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया है।

उद्देश्य।

( ग) इकाई ने अपने भुगतान/पुनर्भुगतान को पूरा करने में चूक की है।

ऋणदाता के प्रति दायित्व और धन की हेराफेरी की है ताकि धन का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए न किया गया हो।

जिनके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, और न ही अन्य परिसंपत्तियों के रूप में इकाई के पास धन उपलब्ध है।

( घ) इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और चल अचल संपत्तियों या अचल संपत्ति का निपटान या निष्कासन भी किया है।

सावधि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा दिया गया

बैंक/ऋणदाता की जानकारी के बिना।

ने शिकायत निवारण तंत्र के पैराग्राफ 3 में निर्धारित किया गया है

निम्नलिखित रूप में वृत्ताकारः

. शिकायत निवारण तंत्र

एंक्स/एफ. आई. को पहचान करने में निम्नलिखित उपाय करने चाहिए और

विलफुल डिफॉल्ट के पोर्टिंग उदाहरणेंः

( i) पहचान में अधिक निष्पक्षता प्रदान करने की दृष्टि से

विलफुल डिफॉल्ट के मामलों में, ऋणकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की एक समिति को सौंपा जाना चाहिए और इसमें दो

जी. एम./डी. जी. एम. शामिल होने चाहिए जैसा कि संबंधित बैंक/एफ. आई. के बोर्ड द्वारा तय किया गया है।

( (ii) विलफुल डिफॉल्टरों के वर्गीकरण पर लिए गए निर्णय को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार समर्थित किया जाना चाहिए।

सबूत। निर्णय में स्पष्ट रूप से कारण बताए जाने चाहिए

जिसके लिए उधारकर्ता को विलफुल घोषित किया गया है।

आर. बी. आई. के दिशा-निर्देशों की तुलना में चूककर्ता।

बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

( iii) इसके बाद उधारकर्ता को उसके कारणों के साथ-साथ उसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव के बारे में उपयुक्त सलाह दी जानी चाहिए। संबंधित उधारकर्ता को भुगतान करने के लिए उचित समय (जैसे 15 दिन) दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली और दो अन्य वरिष्ठ सदस्यों वाली शिकायत निवारण समिति को, यदि वह ऐसा चाहे तो, इस तरह के निर्णय के खिलाफ प्रतिनिधित्व।

अधिकारीगण।

( iv) इसके अलावा, उपरोक्त शिकायत निवारण समिति को भी उधारकर्ता को सुनवाई देनी चाहिए यदि वह इसका प्रतिनिधित्व करता है।

उसे जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है।

( v) 'विलफुल डिफॉल्टर' के रूप में एक अंतिम घोषणा की जानी चाहिए।

समिति द्वारा विचार लिए जाने के बाद प्रतिनिधित्व और उधारकर्ता उपयुक्त होना चाहिए

सलाह दी। "

01.07.2015 पर, RBI ने एक और मास्टर सर्कुलर जारी किया

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जानबूझकर चूक करने वालों से कैसे निपटना है, इस बारे में निर्देश देना। "विलफुल डिफॉल्ट" की परिभाषा काफी हद तक समान है।

ई पूर्ववर्ती मास्टर परिपत्र। हालांकि, तंत्र के लिए

विलफुल डिफॉल्टरों के ऋण को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है:3. विलफुल डिफॉल्टरों की पहचान के लिए तंत्र

ऊपर पैराग्राफ 2.5 में निर्दिष्ट तंत्र को आम तौर पर निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए:

( क) ऋण लेने वाली कंपनी और उसके प्रवर्तक/पूर्णकालिक निदेशक की ओर से जानबूझकर चूक का प्रमाण

एक कार्यकारी निदेशक या समकक्ष की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रासंगिक समय की जांच की जानी चाहिए और इसमें जी. एम./डी. जी. एम. रैंक के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने चाहिए।

( ख) यदि समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि जानबूझकर चूक की कोई घटना हुई है, तो वह संबंधित उधारकर्ता और प्रवर्तक/पूर्णकालिक निदेशक को कारण बताएँ नोटिस जारी करेगी और उनकी दलीलें मांगेगी और उनकी दलीलों पर विचार करने के बाद जानबूझकर चूक के तथ्य और उसके कारणों को दर्ज करने के लिए एक आदेश जारी करेगी। एक मौका

यह उधारकर्ता और प्रवर्तक/संपूर्ण [2019] 7 एस. सी. आर. को दिया जाना चाहिए।

यदि समिति महसूस करती है तो व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समय निदेशक

ऐसा अवसर आवश्यक है।

( ग) समिति के आदेश की समीक्षा अध्यक्ष/अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अन्य समिति द्वारा की जानी चाहिए।

प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सी. ई. ओ. और बैंक के दो स्वतंत्र निदेशकों/गैर-कार्यकारी निदेशकों के अलावा और उक्त समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही आदेश अंतिम होगा। हालांकि, अगर

पहचान समिति किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का आदेश पारित नहीं करती है, फिर समीक्षा इस तरह के निर्णयों की समीक्षा के लिए समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

XXX XXX "

5. यह देखते हुए कि 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 8591 से उत्पन्न दीवानी अपील में उत्तरदाताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (जी) प्रभावित होगा, जिसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त दिशानिर्देशों में एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार को पढ़ना आवश्यक होगा। बैंकों की एकमात्र संभावित आपत्ति यह हो सकती है कि वकील प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से देरी कर सकते हैं। स्थगन की मांग करके और अन्यथा तर्कों को आगे बढ़ाते हुए किसी उधारकर्ता को जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में घोषित करना। उन्होंने कहा कि इसमें कटौती की जा सकती है और यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी भी प्रावधान के तहत कोई स्थगन नहीं है।

परिस्थितियां दी जाएंगी और तर्क के लिए अधिकतम आधे घंटे की अवधि दी जा सकती है। उनके अनुसार, उधारकर्ता अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं हो सकता है और भेदभाव के मुद्दे भी हो सकते हैं।

उठें। इसलिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का समर्थन किया। एम/एस। जाह डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। , 2015 का एल. पी. ए. सं. 113। उन्होंने बताया कि बंबई उच्च न्यायालय, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड बनाम भारत संघ और ओआरएस। , 2015 का डब्ल्यू. पी. (एल) सं. 1684, और कलकत्ता उच्च न्यायालय, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड में। भारत संघ और ओआरएस। , 2014 का ए. एस. टी. संख्या 320, ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया v लिया है।

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

अलग दृष्टिकोण जो दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं था, प्रबल होना चाहिए। श्री त्रिपाठी के निवेदन का समर्थन 2017 की एसएलपी (सी) संख्या 10008 से उत्पन्न दीवानी अपील में प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने किया।

6. दूसरी ओर, श्री नीरज किशन कौल और श्री बी. बी. साहनी, एस. एल. पी. (सी.) से उत्पन्न सिविल अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। 2016 का सं. 8591 और एसएलपी (सी.) क्रमशः 2017 का सं. 10008 और श्री प्रीतेश कपूर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, एसएलपी (सी) से उत्पन्न सिविल अपील में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। 2017 के सं. 26329 ने यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राकृतिक न्याय के अधिकार का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की भी आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कल्पना से भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों में संदर्भित आंतरिक समितियों को "न्यायाधिकरण" नहीं कहा जा सकता है क्योंकि राज्य द्वारा इनमें किसी भी न्यायिक शक्ति का निवेश नहीं किया गया है। समितियाँ। उन्होंने कई निर्णयों के संदर्भ में भी इस निवेदन का समर्थन किया। उनके अनुसार, इसलिए, कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से बेहतर है। यह ध्यान दिया जाएगा कि आई. डी. 1 के मास्टर सर्कुलर में पहले उच्च अधिकारियों की एक समिति को जानबूझकर चूक के मामले सौंपे गए थे, जिसके बाद कौन सी समिति प्रारंभिक निर्णय लेगी जिसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए और साक्ष्य ["पहली समिति"] द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसके बाद, संबंधित उधारकर्ता को शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ["समीक्षा समिति"] से मिलकर। इसके अलावा, ऐसी समिति को उधारकर्ता को सुनवाई देनी चाहिए यदि वह यह प्रतिनिधित्व करता है कि उसे गलत तरीके से विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसी सुनवाई के बाद ही विलफुल डिफॉल्टर के रूप में अंतिम घोषणा की जानी चाहिए। दूसरी ओर, संशोधित परिपत्र दिनांक 01.07.2015 के अधिकार को सीमित करता है ऋणकर्ता, संशोधित परिपत्र के पैराग्राफ 3 के रूप में, एक कार्यकारी निदेशक और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उधारकर्ता की ओर से जानबूझकर चूक के साक्ष्य की जांच करने के लिए कहकर उपरोक्त योजना को प्रतिस्थापित करते हैं। यदि इस समिति को पता चलता है कि जानबूझकर चूक की कोई घटना हुई है, तो उसे पहले संबंधित उधारकर्ता को कारणदर्शक नोटिस जारी करना चाहिए और उसकी प्रस्तुतियों के लिए कॉल करना चाहिए, और उसकी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, जानबूझकर चूक के तथ्य और उसके कारणों को दर्ज करते हुए एक आदेश जारी करना चाहिए; एक व्यक्तिगत सुनवाई केवल तभी दी जा सकती है जब समिति को लगता है कि ऐसी सुनवाई [2019] 7 एस. सी. आर. है।

आवश्यक है। इसके बाद, समिति के आदेश की समीक्षा अध्यक्ष/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली एक अन्य समिति द्वारा की जानी है। निदेशक या सी. ई. ओ., बैंक के दो स्वतंत्र निदेशकों/गैर-कार्यकारी निदेशकों के अलावा और आदेश उक्त समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही अंतिम हो जाएगा।

7. यह ध्यान दिया जाएगा कि जबकि पहले के मास्टर सर्कुलर दिनांक 01.07.2013 ने शिकायत निवारण समिति के समक्ष सुनवाई की अनुमति दी थी

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, और यह भी प्रावधान किया गया है कि उधारकर्ता को पहली समिति के प्रारंभिक निर्णय के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, यह स्थिति अब प्राप्त नहीं होती है। दिनांक 01.07.2015 के संशोधित परिपत्र के पैराग्राफ 3 के तहत, यह केवल पहले चरण में है कि पहली समिति को कारण बताएँ नोटिस जारी करना है और उधारकर्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करना है, एक विवेकाधिकार उपरोक्त समिति के पास व्यक्तिगत सुनवाई करने या न करने के लिए छोड़ दिया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि समीक्षा समिति

इसमें पूरी तरह से उच्च अधिकारी और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

घर में। न तो पहली समिति का आदेश उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए, न ही उपरोक्त आदेश के खिलाफ किसी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, न ही समीक्षा समिति के समक्ष कोई व्यक्तिगत सुनवाई है, जो स्वयं पहली समिति के आदेश को पढ़ती है और फिर उधारकर्ता को शामिल किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है।

8. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गंभीर

किसी व्यक्ति को विलफुल के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद परिणाम आते हैं। चूककर्ता। ये परिणाम इस प्रकार हैं:

( क) किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

संस्था [पैराग्राफ 2.5 (ए)]।

( बी) उद्यमियों/प्रवर्तकों को 5 साल की अवधि (पैराग्राफ 2.5 (ए)) के लिए संस्थागत वित्त से प्रतिबंधित किया जाएगा।
( ग) आपराधिक सहित कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

शिकायतें [पैराग्राफ 2.5 (बी)]।

( घ) बैंक और वित्तीय संस्थान विलफुल डिफॉल्टर के प्रबंधन को बदलने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएँगे।

[ पैराग्राफ 2.5 (सी)]।

( ङ) विलफुल डिफॉल्टर के प्रवर्तक/निदेशक को किसी अन्य उधार लेने वाली कंपनी द्वारा शामिल नहीं किया जाएगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

( च) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 ए के अनुसार, एक विलफुल डिफॉल्टर समाधान आवेदक नहीं हो सकता है।

दिनांक 01.07.2015 के संशोधित परिपत्र के तहत पहली समिति और/या समीक्षा समिति। 10. चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि दो सदन समितियों को न्यायाधिकरण माना जा सकता है, और यह कि

इसलिए, एक वकील को सदन समितियों के समक्ष अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, सबसे पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या इन सदन समितियों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण कहा जा सकता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार हैः

" 30. अधिवक्ताओं का अभ्यास करने का अधिकार। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य सूची में दर्ज किया गया है, वह उन सभी क्षेत्रों में वकालत करने के अधिकार का हकदार होगा जहां इस अधिनियम का विस्तार है।

( (i) उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में; ( (ii) किसी भी न्यायाधिकरण या कानूनी रूप से लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति के समक्ष

साक्ष्य; और

( (ग) किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता तत्काल किसी कानून द्वारा या उसके अधीन है।

अभ्यास करने का अधिकार "।

11. विवादित फैसले में कहा गया है कि "साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत" अभिव्यक्ति "व्यक्ति" शब्द के साथ जाती है न कि "न्यायाधिकरण" शब्द के साथ। हालांकि यह सही हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि किसी निकाय को "न्यायाधिकरण" कहा जा सके, उसे राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ निवेश किया जाना चाहिए कि वह उसके सामने आने वाले कानून पर निर्णय ले। यह होगा

अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है कि सभी "न्यायाधिकरणों" को कानून या अधीनस्थ विधान या अन्यथा, ऐसे न्यायाधिकरण में निहित राज्य की न्यायिक शक्ति द्वारा साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होना चाहिए। इस न्यायालय ने जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम. लक्ष्मी चंद और ओआरएस। , [ 1963 ] सप्लीमेंट (1) एस. सी. आर. 242 ने अभिनिर्धारित किया कि यू. पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत घोषित आदेश के खंड 29 के तहत एक सुलह अधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करना होगा। हालाँकि, उन्हें [2019] 7 एस. सी. आर. के भीतर "न्यायाधिकरण" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अर्थ है कि ऐसे न्यायाधिकरण को राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ निवेशित एक निकाय होना चाहिए, जिसके साथ एक सुलह अधिकारी को निवेश नहीं किया गया था। इसी तरह, इंजीनियरिंग मजदूर सभा और अन्न में। वी. हिंद साइकिल लिमिटेड, [1963] सप्लीमेंट (1) एससीआर

625 , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-ए के तहत नियुक्त मध्यस्थ को न्यायाधिकरण नहीं कहा जा सकता क्योंकि राज्य ने उसे न्यायिक शक्ति प्रदान नहीं की है। उसकी स्थिति हो सकती है

12. इसी तरह, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम। पी. एन. शर्मा और अन्न. , [ 1965 ] 2 एस. सी. आर. 366, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंजाब राज्य एक न्यायाधिकरण है जब वह पंजाब कल्याण अधिकारी भर्ती और सेवा शर्तों के नियमों के नियम 6 (6) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करता है। 1952. इसलिए, पंजाब राज्य द्वारा पारित एक आदेश अपील योग्य होगा, क्योंकि पंजाब राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 (1) के अर्थ के भीतर एक "न्यायाधिकरण" है। बहुमत निर्णय, के माध्यम से

गजेंद्रगडकर, सी. जे. ने अभिनिर्धारित किया कि मूल परीक्षा यह है कि क्या निर्णय लेने की शक्ति जिसे एक विशेष प्राधिकरण प्रयोग करने के लिए सशक्त है, उसे एक क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है और इसे अपने न्यायिक कार्य के निर्वहन में प्रयोग की गई राज्य की अंतर्निहित शक्ति के एक हिस्से के रूप में वर्णित किया जा सकता है, मामले के तथ्यों पर संतुष्ट कहा जा सकता है। एक अलग सहमति वाले फैसले में,

जे. बचावत ने अभिनिर्धारित कियाः

" 44. न्यायालय के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण को व्यापक रूप से अलग-अलग परिस्थितियों में न्यायिक शक्ति के साथ कानून द्वारा निहित किया जा सकता है, जिसे पूरी तरह से परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव और वास्तव में अस्वीकार्य होगा। उचित बात यह है कि प्रत्येक मामले की जांच की जाए, और यह पता लगाया जाए कि क्या प्राधिकरण में निहित शक्तियों को वास्तव में न्यायिक कार्यों या न्यायिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। राज्य। इस मामले के उद्देश्य के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि कोई भी

राज्य द्वारा निर्धारित करने के लिए सशक्त बाहरी प्राधिकरण

निर्णायक रूप से उनके बीच विवाद में किसी भी मामले के संबंध में दो या दो से अधिक पक्षकारों के अधिकार संतुष्ट करते हैं -

राज्य की न्यायिक शक्तियों के साथ निहित प्राधिकरण का परीक्षण और अनुच्छेद 136 के अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जा सकता है। न्यायनिर्णयन की ऐसी शक्ति का तात्पर्य है कि प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए और उसे अपने समक्ष की सामग्री पर प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाकर और उन तथ्यों पर प्रासंगिक कानून लागू करके विवाद का निर्धारण करना चाहिए। न्यायाधिकरण के इस परीक्षण का अर्थ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नहीं है।

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-ए के तहत कार्य करने वाले निजी मध्यस्थ या न्यायाधिकरण जैसे पक्षकारों के किसी समझौते से निर्णय लेना किसी न्यायाधिकरण के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। अनुच्छेद 136। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा निकाय या प्राधिकरण किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निहित है। मध्यस्थता अधिनियम, 1940

एक के कुछ जाल के साथ मध्यस्थ

न्यायालय, और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भी अधिनियम की धारा 10-ए के तहत कार्य करने वाले एक प्राधिकरण को ऐसे कई जाल के साथ निहित करता है, और फिर भी, ऐसे निकाय और प्राधिकरण न्यायाधिकरण नहीं हैं। उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह

संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधित परिपत्र दिनांक 01.07.2015 के तहत नियुक्त आंतरिक समिति में से कोई भी न्यायिक शक्ति के साथ निहित है।

राज्य से। विवादित फैसले का यह निष्कर्ष कि ऐसे परिपत्रों का वैधानिक बल होता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की न्यायिक शक्ति दोनों समितियों में निहित की गई है, पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य की न्यायिक शक्ति, जैसा कि इसके कई निर्णयों से समझा जाता है।

सदन की समितियों को तथ्यों को इकट्ठा करने और फिर परिणाम पर पहुंचने के लिए प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं। दूसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिपत्र किसी भी तरह से राज्य की न्यायिक शक्ति को ऐसी आंतरिक समितियों में निहित करते हैं। इस आधार पर, इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं है, और किसी भी वकील को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के तहत सदन की समितियों के समक्ष उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, उक्त समितियां भी कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं।

कानून या अधीनस्थ विधान, और इस आधार पर भी, किसी भी वकील को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के तहत उसके समक्ष उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं होगा। 13. अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या संशोधित परिपत्र दिनांक 01.07.2015 के तहत मौखिक सुनवाई की आवश्यकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि उक्त परिपत्र पहले के मास्टर [2019] 7 एस. सी. आर. से अलग है।

परिपत्र में कहा गया है कि मौखिक सुनवाई केवल पहले चरण में पहली समिति द्वारा दी जा सकती है यदि यह आवश्यक पाया जाता है। संशोधित परिपत्र की योजना को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि मौखिक सुनवाई अनिवार्य है। यह.

यह कहना और भी कठिन है कि सभी मामलों में मौखिक सुनवाई की जानी चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है। कई निर्णयों में कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय एक लचीला उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के उचित परिणाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इस तरह के परिणाम कई मामलों में मौखिक सुनवाई के बिना लेकिन लिखित रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं।

पक्षों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, जिन पर विचार करने के बाद, एक निर्णय है

फिर आ गया। वास्तव में, गोरखा सुरक्षा सेवा बनाम मामले में हाल के एक फैसले में। सरकार. ( दिल्ली का एन. सी. टी.) और अन्य। , ( 2014 ) 9 एस. सी. सी. 105, इस न्यायालय ने एक काली सूची वाले मामले में निर्णय दिया है कि जहां गंभीर परिणाम होंगे।

इसके बाद, एक बार कारण बताएँ नोटिस जारी होने और जवाब देने का अवसर मिलने के बाद, स्वाभाविक न्याय संतुष्ट हो जाता है और मौखिक रूप से देने की आवश्यकता नहीं होती है।

ऐसे मामलों में सुनवाई [पैराग्राफ 20 देखें]।

14. जब यह बात आती है कि क्या ऋणकर्ता, जानबूझकर चूककर्ता घोषित किए जाने के परिणामों को देखते हुए, कहा जा सकता है कि

एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार, इस न्यायालय के निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है, और यह सब शासी नियमों और प्रत्येक मामले की तथ्य स्थिति को देखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, मोहिंदर सिंह गिल और अन्न में। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। , ( 1978 ) 1 एस. सी. सी. 405, चुनाव कानून के संदर्भ में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 63. वाइज़मैन वी. बोर्नमैन [(1967) 3 ऑल ई. आर. 1945] जल्दबाजी और सुनवाई के प्रतिस्पर्धी दावों का संकेत था। लॉर्ड रीड ने कहा: यहां तक कि जहां निर्णय एक कार्य निकाय द्वारा किया जाना है

न्यायिक रूप से, आवश्यकता के बीच एक संतुलन होना चाहिए

अभियान और प्रतिवादी को पूरा अवसर देने की आवश्यकता उसके खिलाफ सामग्री देखने के लिए "(जोर दिया गया)। हम इस बात से सहमत हैं कि औपचारिक सुनवाई की विस्तृत और परिष्कृत पद्धति

चल रहे चुनाव में जल्दबाजी के लिए इतना आवश्यक हानिकारक हो सकता है। फिर भी, प्राकृतिक न्याय व्यावहारिक रूप से लचीला है और है

के बाध्यकारी दबाव के तहत कैप्सूलेशन के लिए उत्तरदायी

परिस्थितियाँ। इसे पूरी तरह से दबाना बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर निष्पक्षता का एक झटका नहीं हो सकता है। यहां तक कि वाइज़मैन में भी, जहां यह देखने की मांग की गई थी कि क्या किसी कर मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला है, जहां अनिवार्य रूप से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया V के बाद के चरण में एक पूर्ण सुनवाई बढ़ाई जाएगी।

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

कार्यवाही, लॉर्ड रीड, बोर्थ-वाई-गेस्ट के लॉर्ड मॉरिस और लॉर्ड

विल्बरफोर्स ने सुझाव दिया कि "असाधारण मामले हो सकते हैं"

इस पर एकतरफा निर्णय लेना अनुचित होगा, और यह होगा

न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह इसे समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए

अन्याय "(लॉर्ड डेनिंग, एम. आर., हावर्ड बनाम में। बोर्नमैन [(1974)

3 डब्ल्यू. एल. आर. 660] ने लॉ लॉर्ड्स की टिप्पणियों का सारांश दिया

इस रूप में)। कोई भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण वांछनीय नहीं है लेकिन न्यायालय

इस हद तक मुख्य नियम को बचाने के लिए चिंतित होना चाहिए किसी दिए गए मामले में अनुज्ञेय। आखिरकार, यह अनिवार्य नहीं है कि वकील

पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए और न ही यह अनिवार्य है कि मौखिक साक्ष्य

जोड़ा जाना चाहिए। वास्तव में, यह अनिवार्य भी नहीं है कि लिखा जाए

बयानों की मांग की जानी चाहिए। प्रमुख का प्रकटीकरण

परिस्थितियाँ और मौखिक रूप से तत्काल स्पष्टीकरण के लिए पूछना या

अन्यथा, कई मामलों में, पर्याप्त अनुपालन हो सकता है। यह समान है।

यह माना जा सकता है कि संबंधित पक्षों के साथ एक तत्काल बैठक

एक घंटे के नोटिस पर, या संकट में, यहाँ तक कि एक टेलीफोन पर भी बुलाया जाता है

कॉल करें, पर्याप्त हो सकता है। ..... '

( मूल में जोर)

15. कविता वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। ( I), (1981) 3

एस. सी. सी. 558 ["कविता"], इस न्यायालय ने निवारक निरोध के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया कि जब कोई बंदी सलाहकार बोर्ड के समक्ष कानूनी सहायता के लिए अनुरोध करता है, तब भी सलाहकार बोर्ड को इस तरह की कानूनी सहायता की अनुमति देने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार निहित है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि बंदी ने ऐसी किसी भी अनुमति के लिए सलाहकार बोर्ड से कोई अनुरोध नहीं किया था, इसलिए न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए तैयार नहीं था कि बंदी को वकील की सहायता से वंचित कर दिया गया था ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से उसे वंचित कर दिया गया था। इसी तरह, नंद लाल में

बजाज वी. पंजाब और अन्र राज्य। , ( 1981 ) 4 एस. सी. सी. 327, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (3) (बी) का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से उस व्यक्ति को वंचित किया जाता है जिसे निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है। इस न्यायालय ने तब यह निर्णय दिया कि आम तौर पर, सलाहकार मंडल के समक्ष कार्यवाही में वकीलों का कोई स्थान नहीं होता है, और फिर कविता (ऊपर) को संदर्भित किया। अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि निरोध प्राधिकारी को [2019] 7 एस. सी. आर. के समक्ष वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी।

सलाहकार बोर्ड, जबकि बंदी नहीं था, हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होगा।

16. जे. के. अग्रवाल बनाम हरियाणा बीज विकास

निगम लिमिटेड और अन्य। , ( 1991 ) 2 एस. सी. सी. 283, इस न्यायालय ने मामले की कानून पर चर्चा करने के बाद, पैराग्राफ 4 में अभिनिर्धारित किया कि एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व के अधिकार को प्राकृतिक न्याय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। कोई सामान्य नहीं

सभी मामलों में मान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। अंतिम विश्लेषण में स्थितिजन्य विशिष्टताओं के आधार पर मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय लेना होता है।

और मामले के न्याय की विशेष आवश्यकताएँ [पैराग्राफ 8 देखें]।

17. क्रेसेंट डायस एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। राम नरेश

त्रिपाठी, (1993) 2 एस. सी. सी. 115, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक श्रमिक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत कोई अधिकार नहीं है कि उसका प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया जाना चाहिए। कई फैसलों पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 12. अंग्रेजी न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपनी पसंद के वकील या एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है और इसे कानून, नियमों या विनियमों द्वारा नियंत्रित, प्रतिबंधित या विनियमित किया जा सकता है। हालांकि, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति का है, तो एक वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के लिए अपराधी का अनुरोध हो सकता है

मान लिया।

13. भारत में कानून भी प्रतिनिधित्व के पूर्ण अधिकार को सुनवाई के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार नहीं करता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तत्वों में से एक है। यह इस न्यायालय द्वारा (i) कालिंदी (एन) बनाम में निर्णय दिया गया है। टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कं.

लिमिटेड, जमशेदपुर [(1960) 3 एससीआर 407: ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 914], (ii) ब्रुक बॉन्ड इंडिया (पी) लिमिटेड v. सुब्बा रमन (एस.) [(1961) 2 एल. एल. जे. 417] और (iii) डनलप रबर कंपनी। कामगार [(1965) 2 एस. सी. आर. 139: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1392] कि प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है

जब तक कि कंपनी अपने स्थायी आदेशों द्वारा मान्यता नहीं देती है

ऐसा अधिकार "।

XXX XXX XXX

" 17. इसलिए, उपरोक्त मामले-कानून से यह स्पष्ट है कि वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

कानून, नियमों, विनियमों या स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित या विनियमित। एक अपराधी को वकील टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया बनाम के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

या अभिकर्ता जब तक कि कानून विशेष रूप से ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता है। द.

प्राकृतिक न्याय के शासन की आवश्यकता जहां तक अपराधी के सुनवाई के अधिकार का संबंध है, वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार तक विस्तारित नहीं हो सकती है और न ही होती है। तत्काल मामले में अपराधी के प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्थायी आदेशों द्वारा विनियमित किया गया था, जिसमें एक ही विभाग में उसके साथ काम करने वाले क्लर्क या कर्मचारी को उसका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी और इस अधिकार का विस्तार धारा 21 और 22 (ii) पर किया गया था, जिसमें एक अधिकारी, कर्मचारी-सदस्य या संघ के सदस्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई थी, भले ही वह राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो। वस्तु और इस तरह के प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू जांच प्रेषण के साथ पूरी हो और अंतहीन रूप से लंबी न हो। दूसरा, जब अपराधी का बचाव करने वाला व्यक्ति उस विभाग या प्रतिष्ठान से है जिसमें अपराधी काम कर रहा है तो वह उस विभाग के कामकाज और संबंधित नियमों से अच्छी तरह से परिचित होगा और इसलिए अपराधी को संतोषजनक सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। तीसरा, न केवल पूरी कार्यवाही जल्दी पूरी की जाएगी, बल्कि सस्ती भी होगी। इसलिए यह तर्क देना सही नहीं है कि स्थायी आदेश या अधिनियम की धारा 22 (ii) प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के साथ टकराव करती है।

न्याय "।

18. डी. जी. में, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य। वी. के.

उरम बाबू, (2008) 4 एस. सी. सी. 406, इस न्यायालय ने एक स्थायी/विभागीय जांच के संदर्भ में अभिनिर्धारित कियाः

" 9. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर घरेलू/विभागीय जांच में कदाचार के आरोपी व्यक्ति को एन. कालिंदी बनाम के माध्यम से अपना मामला खुद करना पड़ता है। टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग। कंपनी लिमिटेड [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 914]। ऐसी जांच कोई मुकदमा या आपराधिक मुकदमा नहीं है जिसमें किसी पक्ष को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यह केवल तभी है जब कोई नियम है जो अभियुक्त को किसी और द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, कि वह ब्रुक बॉन्ड इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम के माध्यम से जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकता है। सुब्बा रमन

[ ( 1961 ) 2 एलएलजे 417 (एससी)]।

10. इसी तरह, सिप्ला लिमिटेड बनाम। टीपू दमन भनोट [(1999) 4 एस. सी. सी. 188 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 847] इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिनिधित्व का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने पहले के निर्णय का पालन किया। लिमिटेड वी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाराष्ट्र जनरल कामगर यूनियन [(1999) 1 एस. सी. सी. 626: 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 361] जिसमें पूरे मामले के कानून की समीक्षा की गई है।

इस न्यायालय द्वारा।

11. उपरोक्त निर्णय के बाद यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रभारित कर्मचारी में कोई निहित या पूर्ण अधिकार नहीं है

एक वकील के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रतिनिधित्व जब तक कि क़ानून या नियम/स्थायी आदेश ऐसे अधिकार के लिए प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, किसी के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार, भले ही नियमों द्वारा दिया गया हो, एक प्रतिबंधित या नियंत्रित अधिकार के रूप में दिया जा सकता है।

सही है। किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने से इनकार करना

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

अंततः, न्यायालय ने वाय सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 153.8 की वैधता को बरकरार रखा, जिसने एक मित्र को एक अपराधी को साथ रखने की अनुमति दी, जिसे संबोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पूछताछ अधिकारी या गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जाए।

19. हमारे समक्ष यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में,

जहां "विलफुल डिफॉल्ट" में ऐसे तथ्य शामिल हैं जो उपयोगकर्ता को ज्ञात हैं, और "विलफुल डिफॉल्ट" केवल उधारकर्ता का संस्करण होगा, किसी वकील की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून के किसी भी जटिल प्रश्न को सदन की समितियों के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, कृष्ण चंद्र में वी। भारत संघ, (1974) 4 एस. सी. सी. 374, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 17. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने एक अधिवक्ता की सहायता मांगी थी लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले की पेचीदगियों और विशेष रूप से अपीलार्थी के अस्वस्थ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उसे एक वकील की सहायता दी जानी चाहिए थी, और चूंकि वह नहीं दिया गया था, इसलिए बचाव करने का कोई उचित अवसर नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस निवेदन को खारिज कर दिया है और हम अच्छे कारणों से सोचते हैं। अपीलार्थी नियमों के तहत जाँच के दौरान एक अधिवक्ता की सहायता का हकदार नहीं था। विद्वान न्यायाधीश

यह इंगित करने में सही थे कि अपीलार्थी को जो कुछ भी करना था

जाँच का क्रम उसकी शुद्धता की रक्षा करना था।

मूल्यांकन आदेश। मूल्यांकन मामलों के निपटारे में उनके द्वारा प्रदर्शित असामान्य आचरण और विभिन्न खामियों और चूक के संबंध में आरोपों में स्पष्ट संकेत दिए गए थे जो मूल्यांकन अभिलेखों के सामने स्पष्ट थे। अपीलार्थी उचित स्पष्टीकरण देने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था।

टी. ई. बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनके खिलाफ साक्ष्य में परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से रखा गया था।

उसे और उसे अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। इसमें शायद ही कोई वकील उनकी मदद कर सकता था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें मौखिक साक्ष्य हो।

लेखाओं और याचिकाकर्ता के संदर्भ में दर्ज किया गया था गवाहों से जिरह करने के लिए एक प्रशिक्षित वकील की सेवाओं की आवश्यकता होती थी। मामले में कोई कानूनी जटिलता नहीं थी। इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि वकील की अनुपस्थिति

अपीलार्थी को बचाव करने के उचित अवसर से वंचित कर दिया गया

स्वयं "।

20. इसके अलावा, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम। के. वी राम

ली, (2006) 11 एस. सी. सी. 645, इस न्यायालय ने निर्धारित कियाः

" 7. इस देश में कानून किसी कर्मचारी को घरेलू पूछताछ में प्रतिनिधित्व के पूर्ण अधिकार को उसके सुने जाने के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं करता है और यह कि उसके द्वारा प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है। जब तक कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन को विनियमित करने वाले नियम या विनियम और स्थायी आदेश, यदि कोई हों, विशेष रूप से ऐसे अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं और इस तरह के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करते हैंः कालिंदी वी. देखें। टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग। कं. लिमिटेड [(1960) 3 एससीआर 407: ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 914], डनलप रबर कं. बनाम। कामगार [(1965) 2 एस. सी. आर. 139: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1392], क्रिसेंट डायस एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। राम नरेश त्रिपाठी [(1993) 2 एससीसी 115: 1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 360] और इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम। ऑफिसर्स एसोसिएशन। [ ( 2001 )

9 एससीसी 540: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1043] "।

अदालत ने तब कहाः

" 10. अपीलार्थी निगम के विद्वान वकील लाए हैं

हमारे नोटिस कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21-11-2003 के लिए जिसके द्वारा एक कानूनी व्यवसायी को रक्षा सहायक के रूप में कार्य करने के लिए संलग्न करने की प्रार्थना

अस्वीकार कर दिया गया। नियमों का संदर्भ दिया गया था, हालांकि किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध विवेकाधिकार का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए की गई प्रार्थना के आधार की पृष्ठभूमि में भी यही ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा इस उद्देश्य के लिए बताए गए कारण थेः

( क) कथित रूप से दुरुपयोग की गई राशि ₹1 लाख है, (ख) प्रतिवादी द्वारा कई दस्तावेजों और गवाहों की संख्या पर भरोसा किया जाता है, और (ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवाओं का लाभ उठाने की प्रार्थना

को अस्वीकार कर दिया गया है और प्रतिवादी किसी अन्य सक्षम सह-कार्यकर्ता को प्राप्त करने के लिए कोई सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है।

9] 7 एस. सी. आर. में से कोई नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ये कारक वास्तव में यह तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं कि क्या उन्हें कानूनी कार्य में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस संबंध में उत्तरदाता। यह नहीं दिखाया गया है कि जहां तक विचाराधीन दस्तावेजों का संबंध है, एक कानूनी व्यवसायी प्रतिवादी की सहायता करने के लिए बेहतर स्थिति में कैसे होगा। वास्तव में, वह स्वीकार्यता या अन्यथा और विचाराधीन दस्तावेजों की प्रासंगिकता के सवाल को समझाने और प्रकाश डालने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया है और इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि प्रतिवादी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति था और इसमें शामिल राशि है बहुत विशाल। चूंकि प्रत्यर्थी को किसी अन्य कर्मचारी द्वारा सहायता प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है, इसलिए वह किसी भी तरह से कानूनी व्यवसायी की नियुक्ति की अनुमति देने से इनकार करने से पूर्वाग्रहित नहीं था। हाईकोर्ट का आदेश

इसलिए, अस्थिर है और अलग रखा गया है।

21. मामला कानून के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, हमारा विचार है कि सदन में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांकित संशोधित परिपत्र के पैरा 3 में निहित कार्यवाहियाँ

01.07.2015 , जैसा कि यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित जानबूझकर चूक की घटनाएं। 3 यह केवल प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों से संबंधित होगा। आम तौर पर यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या किसी इकाई ने अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, भले ही उसके पास सम्मान करने की क्षमता हो।

जिसका उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता था जिसके लिए वित्त उपलब्ध कराया गया था। क्या चूक जानबूझकर, जानबूझकर और गणना की गई है, यह फिर से एक तथ्य का सवाल है जिसे ऋणदाता उधारकर्ता के प्रस्तुतिकरणों को प्राप्त करने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस में उधारकर्ता को दे सकता है। हालाँकि, हमारा विचार है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) वर्तमान मामले के तथ्यों में आकर्षित होता है क्योंकि जिस क्षण किसी व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया जाता है, व्यवसाय करने के उसके मौलिक अधिकार पर प्रभाव प्रत्यक्ष और तत्काल पड़ता है। यही कारण है कि किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है और उद्यमियों/प्रवर्तकों को पांच साल के लिए संस्थागत वित्त से रोक दिया जाएगा। बैंक/वित्तीय संस्थान विलफुल डिफॉल्टर के प्रबंधन को भी बदल सकते हैं, और विलफुल डिफॉल्टर के प्रमोटर/निदेशक को किसी अन्य उधारकर्ता कंपनी का प्रमोटर या निदेशक नहीं बनाया जा सकता है। समान रूप से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की धारा 29 ए के तहत v.

एम/एस। जाह डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, एक विलफुल डिफॉल्टर समाधान आवेदक होने के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है। इन कठोर परिणामों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि संशोधित परिपत्र, जनहित में होने के कारण, उचित रूप से समझा जाना चाहिए। ऐसा होने के कारण और इस तथ्य को देखते हुए कि प्रथम समिति के प्रारंभिक निर्णय के 15 दिनों के भीतर ऋणकर्ता को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने वाले मुख्य परिपत्र के अनुच्छेद 3 ने, हमारा विचार है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यकारी निदेशक और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति, जो पहली समिति है, को दिनांकित संशोधित परिपत्र के अनुच्छेद 3 (बी) का पालन करने के बाद ऋणकर्ता को अपना आदेश देते ही देना चाहिए। फिर उधारकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर समीक्षा समिति को इस तरह के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस तरह का लिखित प्रतिनिधित्व तथ्यों और कानून (यदि कोई हो) पर पूर्ण प्रतिनिधित्व हो सकता है। समीक्षा समिति को तब ऐसे अभ्यावेदन पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए जो तब उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि पहले के मास्टर सर्कुलर दिनांक 01.07.2013 ने स्वयं इस तरह के कदमों को उचित माना था, हम इन सभी कदमों को दिनांकित संशोधित सर्कुलर में शामिल करते हैं। 01.07.2015 . इसलिए विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और हमारे फैसले के संदर्भ में अपील की अनुमति दी जाती है। हम विद्वान न्यायमित्र श्री पराग त्रिपाठी को इस न्यायालय में उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे